तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 27/2025 (2025/74) अनवान इन्दु अब्बानी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-1-2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी की जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामें के द्वारा खरीदसुदा, कब्जासुदा, खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जोधपुर में वर्तमान खसरा संख्या 34/5 आयी हुई स्थित है। प्रार्थीनी ने उक्त कृषि भूमि जो कि वर्तमान में खसरा संख्या 34/5 के रूप में प्रार्थीनी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उसको प्रार्थी ने तत्कालीन खातेदार शशि भण्डारी, संगीता मेहता एवं मांगीदेवी से खरीद की गयी जो कि उस समय उनके नाम से खसरा संख्या 34/3/1 की कुल रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा एवं 12 बिस्वासी कृषि भूमि दर्ज थी। उक्त तीनो खातेदारो ने उक्त खसरा संख्या 34/3/1 की कुल रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा 12 बिस्वासी कृषि भूमि को दिनांक 04.08.2009 को प्रार्थीनी को बेचान की गयी जिस बेचाननामें का पंजीयन उपपंजीयन कार्यालय तृतीय जोधपुर के यहां दिनांक 04.08.2009 को पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 239, पृष्ठ संख्या 116 क्रम संख्या 2009005716 पर पंजीबद्व किया गया। उक्त बेचाननामें के आधार पर प्रार्थीनी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 1294 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के नाम से उस समय खसरा संख्या 34/3/1 की कुल रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा 12 बिस्वासी कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गयी जो कि जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 से भी स्पष्ट है। वक्त खरीद से ही आज दिनांक तक प्रार्थीनी उक्त कुल रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा 12 बिस्वांसी कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है। तत्पश्चात थ्री डिजिट के खसरा नं0 को हटाकर एक एवं दो डिजिट के ही खसरा नं0 राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के राज्य सरकार के परिपत्र जारी हुए जिससे प्रार्थीनी के नाम से जो खसरा संख्या 34/3/1 की कृषि भूमि दर्ज थी उसको नये खसरा संख्या 34/5 दर्ज करते हुए प्रार्थीनी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। प्रार्थीनी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा 12 बिस्वांसी कृषि भूमि खरीद की गयी थी एवं जिसका राजस्व रेकर्ड में भी निरन्तर इन्द्राज चले आ रहें थे लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से सम्वत 2068 से 2071 की जमाबन्दी में खसरा संख्या 34/5 का कुल रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा 12 बिस्वांसी के स्थान पर रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा 14 बिस्वांसी दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है एवं उक्त इन्द्राज वर्तमान में भी चले आ रहे है जिसकी वजह से प्रार्थीनी का खरीदसुदा रकबा कम हो गया है। ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 34/5 का कुल रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा 12 बिस्वांसी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.) लूणी के पत्रांक/भू.अ. /2025/2346 दिनांक 31.07.2025 ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार ग्रमा तनावडा के खसरा नम्बर 34/5 रकबा 0.6046 हैक्टेयर में खातेदार इन्दु अब्बानी पत्नि महावीरचन्द हिस्सा पूर्ण जाति ओसवाल सा साकेत कॉलोनी रेजिडेन्सी रोड जोधपुर दर्ज है। गत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2068–2071 एवं 2072–2075 मे उक्त खसरा नम्बर 34/5 का रकबा 3.14.14 बीघा दर्ज है। ग्राम तनावडा के नामान्तरकरण संख्या 1294 मे उक्त खसरा नम्बर 34/5 का रकबा 03.16.12 बीघा दर्ज है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किय जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 34/5 रकबा रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा 14 बिस्वांसी के स्थान पर खसरा संख्या 34/5 का कुल रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा 12 बिस्वांसी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करे। आदेश सुनया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	